निविदा की शर्ते

1 निविदाकार को विगत तीन वर्ष का आयकर **टी0डी0एस0 रिटर्न** का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2 निविदाकार को सील बंद लिफाफे के साथ **जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन ,नगर निगम,फुट सेप्टी लायसेंसी छत्तीसगढ, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

3 **निविदाकारों को शासकीय विभाग में 07 वर्षो का खाद्यान्न सब्जी एंव अन्य सामग्रियों से संबंधित सप्लाई अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

4 निविदाकार को खाद्यान्न भण्डारण शोध क्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5 निविदा के साथ अनुमानित कयमूल्य का कम से कम 03 प्रतिशत सुरक्षा निधि जमा किया जावेगा। सफल निविदाकार को रोककर शेष अन्य कि निविदा खोले जाने की तिथि के पन्द्रह दिवस पश्चात् वापस लौटा दी जावेगी। सुरक्षा निधि की नगद राशि स्वीकर नही होगी। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जा सकेगी।

6 इस प्रतिभूति की राशि के अतिरिक्त जेल आपूर्ति नियम 1968 के नियम 10 (ग) के अनुसार शोध क्षमता प्रमाण पत्र या उसके बदले मे 10 प्रतिशत प्रतिभूति भी प्राप्त किया जाना होगा। ताकि पूर्तिकर्ता के द्वारा बीच मे सामग्री प्रदाय बन्द किये जाने पर भी आपूर्ति बाधित ना हो।

7 निविदाकार को निविदा स्वीकृति उपरांत जारी प्रदायगी आदेश के 03 दिवस के अन्दर सामग्री निर्धारित स्थान तक पहुंचाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय पर सामग्री की पुर्ति न होने पर बगैर निविदाकार को सूचना किये स्थानीय बाजार से कय किया जावेगा। शासन को होने वाली हानि की वसूली निविदाकार से की जावेगी।

8 किसी फर्जी फर्म द्वारा निविदा भरे जाने का पूर्ण परीक्षण किया जावेगा। निविदाकार के पास पर्याप्त भंडारण व्यवस्था,कार्य का ज्ञान आदि का निरिक्षण किया जा सकता है

9 कय समिति के अनुशंसा पर सामग्री का कय की अनिवार्यता नही होगी । जेल अधीक्षक के निर्णय अनुसार सामाग्री का कय आदेश निरस्त किया जा सकेगा।

10 प्रदायगी आदेश जारी किये जाने के पूर्व प्रदायकर्ता फर्म से करारनामा किया जाना अनिवार्य होगा । नमूने तथा मापदण्ड 2 के अनुरूप सामग्री प्रदाय न करने की स्थिति मे सामग्री स्वीकार नही की जावेगी। प्रदायकर्ता फर्म को अपने स्वयं के व्यय से वापस ले जाना होगा।

11 निविदा खोले जाने की तिथि 31.03.2022 को समय संध्या 04.00 बजे नियत किया गया है।

12 निविदा उपस्थित निविदाकार अथवा उनके प्रतिनिधि तथा कय समिति के समस्त सदस्यो के सामने खोली जावेगी ।अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने के समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

13 छ0ग0 शासन वित्त तथा योजना विभाग मंत्रालय डी0के0एस0 भवन रायपुर के पत्र कमांक 136 ए/वित्त/ब–4/2012 दिनांक 05.05.2012 के अनुसार देयकों के भुगतान पर निर्धारित टी0डी0एस0 जी0एस0टी0टेक्स काटकर शेष राशि भुगतान की जावेगी।

14 निविदाकारों को निविदा की सामग्री का नमूना पृथक से उसी समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15 निविदाकार को अपने व्यय से सामग्री की प्रदायगी जेल गेट पर अपने अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्वयं करना होगा।

16 निविदाकार की किसी भी प्रकार की कोई शर्त मान्य नही होगी।

17 अपराधिक गतिविधि में संलिप्त नही रहे हों उसका प्रमाण पत्र एवं साथ में आधार कार्ड की छायाप्रति भी निविदा के साथ संलग्न करें।

18 निविदाकार को निविदा की वस्तुओं का मूल्य अंको एवं शब्दो मे/सुस्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा। ऊपरी लेखन तथा काट – छाट किये गये निविदा को विचारण क्षेत्र मे नही रखा जायेगा।

19 निविदाकार को व्यापारिक संस्थान का स्पष्ट पता जहाँ से माल प्रदाय किया जायेगा देना होगा।

20 क्रय अधिकारी चाहे तो किसी भी वस्तु का नमूने से भी मिलान कर सकता है प्रदाय सामग्री का रासायनिक परीक्षण करा सकता है। त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर क्रय अधिकारी क्रय आदेश निरस्त करने का अधिकारी होगा।

21 क्रय की जाने की सामग्री की मात्रा एवं संख्या मे कमी या वृद्धि क्रय अधिकारी द्वारा किया जा सकता है ।

22 निविदा मे सामग्रियों के खाली, टीन, बोरे आदि की दरे नही जोडी जायेगी। वस्तु का वास्ताविक मूल्य ही अंकित किया जाये। निविदाओ का अनुमोदन महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाओ द्वारा किया जायेगा। जेल महानिदेशक का विशेषाधिकार होगा की वे किसी भी निविदा को अमान्य कर सकता है। निविदा की पूर्ण कार्यवाही निरस्त की जा सकती है।

23 निविदा फॉर्म दिनांक 30.03.2022 अपरान्ह 1.00 बजे तक प्रत्येक कार्यालय दिवस राशि 7000/– जमा कर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

24 वस्तुओ का माँग–पत्र दैनिक तथा साप्ताहिक आवश्यकताओं के अनुसार दिया जायेगा।

25 पंजीकृत डाक से दिनांक 31.03.200 समय सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा,। व्यक्तिगत निविदा मान्य नही किया जावेगा।

26 तुलनात्मक विवरण में समान दर पाये जाने पर किस फर्म से क्रय किया जाना है इसका निर्णय जेल अधीक्षक सक्षम है।

27 प्रत्येक निविदाकार को निष्काशन प्रमाण पत्र (चालू वर्ष) का प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जावेगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार है कि वह बिना कारण बताये किसी भी निविदा को नामंजूर कर सकता है।

27 सफल निविदाकार को 100/– के स्टॉम्प पेपर पर करारनामा निविदा खुलने के दिनांक को ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही प्रदाय आदेश दी जायेगी।

02.03.22

जेल अधीक्षक
उप जेल सक्ती
जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग)